झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

एकादश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- **147** के अन्तर्गत दिनांक- **01.03.2023** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0**	पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद अंचल की स्थापना वर्ष- 1971 में की गई है। जबकि वर्त्तमान अंचलाधिकारी श्री नंद कुमार राम के द्वारा म्यूटेशन केस संख्या 232/1956-57 के द्वारा 4 एकड़ 63 डिसमिल भूमि का म्यूटेशन वर्ष- 2021 में कर दिया गया तथा दिनांक- 01.07.2021 को वर्ष 1956-57 से लेकर वर्ष- 2021-22 तक का कुल लगान रू0 46893/- (छियालिस हजार आठ सौ तिरानवे रूपए) जमा कराकर रसीद निर्गत कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम किया गया है, उसका जन्म भी वर्ष- 1956-57 में नहीं हुआ है। मैं उक्त ध्यानाकर्षण के माध्यम से पलामू जिले के हुसैनाबाद अंचल के अंचलाधिकारी श्री नंदकुमार राम द्वारा किए गए अनियमितता की उच्चस्तरीय जाँच कराकर तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	**राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार**

01.	02.	03.	04.
02-	श्री दशरथ गागराई स0वि0स0	सरायकेला-खरसावाँ जिला के आमदा में निर्माणाधीन 500 बेड के हॉस्पिटल के शिलान्यास के करीब 12 साल बाद भी हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। हॉस्पिटल के निर्माण के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा 152 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी। निर्माण कार्य के दौरान 102 करोड़ रुपये की निकासी कर ली गयी है। हॉस्पिटल का निर्माण कार्य लगभग 60 प्रतिशत ही पूरा हुआ है और वर्त्तमान में निर्माण कार्य बंद है। योजना का शिलान्यास वर्ष 2011 में किया गया था। इन 12 वर्षो में हॉस्पिटल बिल्डिंग का सिर्फ स्ट्रक्चर ही खड़ा हो सका है। बिल्डिंग का फिनिसिंग कार्य अब भी बाकी है। हॉस्पिटल के शुरु होने से कोल्हान प्रमंडल की बड़ी आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। अतएव उपर वर्णित हॉस्पिटल के निर्माण कार्य को पूर्ण कराते हुए इसे शीघ्र चालू कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
03-	श्री नारायण दास स0वि0स0	"देवघर जिला सहित देवघर विधान सभा क्षेत्र के प्रखण्ड क्रमशः देवघर, देवीपुर तथा मोहनपुर में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय व्यवस्था चरमराई हुई है। चिकित्सीय व्यवस्था अनुरुप आधारभूत संरचना स्थापित तो की गई है, परन्तु आधुनिक चिकित्सीय व्यवस्था सुदृढ़ नहीं रहने के कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयाँ का सामना करना पड़ रहा है। विगत तीन वर्षो से यहाँ के स्थानीय आमजन चिकित्सा सुविधा के लाभ लेने से वंचित है और क्षेत्र के अधिकांश जनसंख्या निजी अस्पतालों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बच्चों एवं महिलाओं को विशेषकर इस दिशा में अत्यधिक कठिनाईयाँ हो रही है। चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का यूनिट के आधार पर पदस्थापन नहीं होने के कारण	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य उप-केन्द्र, सदर अस्पताल, देवघर नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्र, जिसपर अत्यधिक जनसंख्या का भार है, वैसे स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी चिकित्सीय व्यवस्था का घोर अभाव है। साथ ही चिकित्सीय उपकरण, रेडियोलोजिस्ट एवं चिकित्सीय उपकरण संचालन हेतु टेकनीशियन का घोर अभाव है''। अतः सदन के माध्यम से सरकार से माँग करता हूँ कि देवघर जिला व मेरे देवघर विधान सभा क्षेत्र के उक्त वर्णित प्रखण्डों के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आधुनिक उपकरण, उनके संचालन हेतु टेकनीशियन एवं खासकर बच्चों एवं महिलाओं हेतु विशिष्ट चिकित्सकों को पदस्थापन कर चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करायी जाय, जिस हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्री विनोद कुमार सिंह स0वि0स0	गिरिडीह जिला में राशन वितरण, पी0डी0एस केन्द्र आवंटन एवं राशन कार्ड स्वीकृति में काफी अनियमितता रही है। जहाँ 2022 में औसतन दो से तीन माह का राशन लाभुकों को नहीं मिला है। वही दूसरी ओर पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने 208 पीडीएस केन्द्र की अनियमित तरीके से स्वीकृति दी। विभाग ने जाँच के बाद 208 अनुज्ञप्ति तो रद्द कर दी, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग के जाँच के बावजूद कार्मिक विभाग ने अभी तक दोषी पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जिला आपूर्ति कार्यालय में अनियमित नियुक्ति भी की गई जिनके माध्यम से अनियमित कार्य होते रहे है। वर्तमान जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यकाल में भी 3000 से ज्यादा अनियमित तरीके से राशन कार्ड जारी किए गए जिसमें 500 से फर्जी आदिम जनजाति दर्शा कर अन्त्योदय कार्ड जारी किए गए। जबकि जरूरतमंद परिवार के अन्त्योदय कार्ड रद्द किए गए।	खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

01.	02.	03.	04.
		उक्त अनियमितता पर भी अब तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फलतः जिला में कालाबाजारियों का मनोबल बढ़ा है। गोदाम से लेकर पीडीएस तक राशन की चोरी हो रही है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करता हूँ ताकि दोषी पर कार्रवाई हो।	
05–	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0 डॉ0 इरफान अंसारी स0वि0स0 श्री भूषण बड़ा स0वि0स0	महागामा विधान सभा सहित राज्य के सभी विधान सभाओं में जल श्रोत की धीरे–धीरे कम होती जा रही उपलब्धता के कारण पेयजल हेतु शुद्ध पानी का घोर संकट उत्पन्न होने वाला है, जिसके कारण राज्य के ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोग पेयजल को लेकर चिंतित हैं। नदी तालाब अभी से सुखने लगे है, जिसके कारण पालतू जानवर के लिए भी पानी की घोर कमी होते जा रही है। सुलभ रूप से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा अबतक के प्रयास नाकाफी सिद्ध हो रहे है। अतएव राज्य के जनता एवं पालतू जानवरों को पेयजल सुलभ कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।	पेयजल एवं स्वच्छता

राँची,
दिनांक– 01 मार्च, 2023 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-.....735...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 28/02/23

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/02/23

(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-01/2023-.....735...../वि0 स0, राँची, दिनांक- 28/02/23

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

28/02/23

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

28/02/23